

**न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी**  
**(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 622/2013**  
**संस्थित दिनांक 21.01.2013**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
अंजड़, जिला बड़वानी, मप्र

- **अभियोगी**

**वि रू द्ध**

अनिल पिता लाला तड़वी, उम्र 21 वर्ष,  
निवासी बैड़ीपुरा हरिबड़, थाना अंजड़  
जिला बड़वानी

- **अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अभिभाषक - श्री संजय गुप्ता

-: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 15.03.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 268/2013 के आधार पर दिनांक 27.09.13 को रात्रि लगभग 9:30 बजे ग्राम हरिबड़ फरियादी दिनेशचन्द्र के मकान जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित करने के कारण भादवि की धारा 457 का आरोप है।

02- प्रकरण में एकमात्र स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.09.2013 को फरियादी दिनेश चन्द्र ने थाना अंजड़ पर आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम हरिबड़ में रहकर कृषि करता है, उसका ससुराल ग्राम हरिबड़ का ही है वह कल दि. 27.09.13 को वह तथा उसका परिवार गांव में ही उसके ससुर के घर गये थे। दुध खतम होने से वह तथा महेन्द्र दोनों उसके घर रात्रि 9.30 बजे घर दुध लेने पहुंचे तो आगे की दीवार पर से अनिल पिता लाला तड़वी, निवासी बयड़ीपुरा हरिबड़ का चोरी करने की नियत से घर में उपरी पर दिखा, वे चिल्लाये और उसे पकड़ने की प्रयास किया तो अनिल दीवार कुदकर भागा तो गांव के धन्नलाल निदेश, ने देखा और पीछा किया तो हाथ नहीं आया और भाग गया, अनिल को उसने, महेन्द्र, मन्नालाल व दिनेश ने बिजली के उजाले में देखा व पहचाना था, कल रात्रि होने से तथा साधन नहीं होने से आज रिपोर्ट करने आया है, रिपोर्ट करता है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ के अपराध क्र. 268/13 पर दर्ज कर फरियादी व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, नक्शा मौका बनाया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 457 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित करने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और ना उसे किसी ने पकड़ा था और ना थाने ले गए थे। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 27.09.13 की दरमियानी रात्रि लगभग 9:30 बजे फरियादी के घर ग्राम हरिबड़ में सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

**— विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष —**

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी दिनेशचन्द्र (अ.सा.1) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी उसके गांव का रहने वाला है। घटना दि. 27.09.13 रात्रि 9:30 बजे की है, उस दिन उसके ससुर का देहांत होने से वहां कार्यक्रम चल रहा था, वहां दुध की कमी होने से वह तथा महेन्द्र दुध लेने उसके घर पर आये तो आरोपी अनिल उसके घर के अंदर की दीवार से कूदकर घर के बाहर भागने लगा। आरोपी उसके घर के अंदर चोरी करने के आशय से घुसा था। वह आरोपी को पकड़ने के लिये पीछे दौड़ था किंतु आरोपी हाथ नहीं आया। घटना धन्नालल, दिनेश ने भी देखी थी तथा उन्होंने भी आरोपी का पीछा किया था। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना के समय उसके मोहल्ले में विद्युत प्रकाश चालू था और वहां पर प्रकाश की व्यवस्था थी, जिसके उजाले में उसने आरोपी को देखा था। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की थान अंजड़ पर लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशांदेही से प्रदर्श पी 2 का नक्शा मौका बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका और आरोपी का मकान काफी दूरी पर है। आरोपी आदतन चारी का अपराध करता है। उसने आरोपी को खेती या मजदूरी करते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि घटना के समय बिजली प्रदाय बंद थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके मकान में कौन व्यक्ति घुसा था उसने नहीं देखा था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने आरोपी को मकान के उपर से कूदते हुए देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी को अपने खेत में मजदूरी करने के लिये बोला था, किन्तु उसके इंकार करने के बाद उसने आरोपी के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लिखई है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी की केवल आवाज सुनी थी, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने

आरोपी का चेहरा भी देखा था।

07— धन्नालाल (अ.सा.2), दिनेश (अ.सा.3) ने भी घटना दिनांक को फरियादी के निवास स्थान में आरोपी चोरी करने के आशय से घुसने तथा भागने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षियों का यह भी कथन है कि उन्होंने आरोपी का पीछा किया था, किंतु वह पकड़ में नहीं आया। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में धन्नालाल (अ.सा.2) ने स्वीकार किया है कि वह गांव का उप सरपंच लगभग 10 वर्षों तक रहा था। उसके गांव के लोगों से अच्छे संबंध हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनेश के घर की दीवार लगभग 10-12 फीट उंची होगी और सामान्य व्यक्ति इतनी उंची दीवार नहीं कूद सकता है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि फरियादी के कहने से वह असत्य कथन कर रहा है।

08— दिनेश (अ.सा.3) ने भी स्वीकार किया है कि आरोपी उसके गांव का है। उसे घटना की जानकारी दिनेश ने दी थी। दिनेश की आवाज सुनकर वह वहां गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने फरियादी के कहने से असत्य कथन किये हैं।

09— कमल तारे (अ.सा.4) का कथन है कि उसने थाना अंजड़ के अपराध क्र. 268/13 की विवेचना के दौरान उसे फरियादी दिनेशचन्द्र, महेन्द्र, धन्नालाल और दिनेश पिता बट्टीलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने फरियादी दिनेश की निशांदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी के घर की दीवार लगभग 10 से 12 फीट उंची है। इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि फरियादी के घर के उपर आसानी से जा सकते हैं, वहां पास ही जानवरों का बाड़ा है जहां पर काठियों का ढेर लगा हुआ है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी आरोपी को पहले से जानता था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी की पहचान फरियादी से कराई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाई है अथवा उसने असत्य विवेचना की है।

10— इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी और साक्षीगण के कथनों का कोई भी खण्डन नहीं हुआ है। सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा फरियादी के निवास स्थान में सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश करने और वह पर फरियादी और साक्षियों के पहुंचने पर आरोपी को भागते हुए देखने के संबंध में स्पष्ट कथन किया है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है।

11— इस प्रकार अभियोजन अपनी साक्ष्य से आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 457 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः आरोपी अनिल पिता लाला तड़वी, निवासी बैड़ीपुरा हरिबड़ को भा.द.वि. की धारा 457 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। आरोपी को चोरी

करने के आशय से फरियादी के निवास स्थान में रात्रि गृहभेदन करने के लिये दोषी ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपी को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12- अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

**पुनश्च:**

13- सजा के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी व विद्वान अभिभाषक श्री संजय गुप्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि आरोपी इस प्रकरण में काफी समय से अभिरक्षा में है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए तथा न्यूनतम कारावास से दण्डित किया जाए।

14- यह सही है कि आरोपी इस प्रकरण में दि. 29.09.13 से लेकर दि. 13.11.2013 तथा दि. 17.06.16 से लेकर दि. 05.07.16 एवं दि. 05.11.16 से लेकर आज दिनांक तक न्यायिक निरोध में है, जो कुल समयावधि 286 दिन होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को अधिकतम कारावास से दंडित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता लाला तड़वी निवासी बैड़ीपुरा हरिबड़ को भा.द.वि. की धारा 457 के अपराध में दोषी ठहराते हुए 7 माह के सश्रम कारावास तथा रुपये 100/- के अर्थदंड से दंडित करता है, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी 7 दिवस का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए।

15- अभियुक्त अपनी व्यतीत की गई निरोध अवधि को दंप्रस की धारा 428 के प्रावधानों अनुसार दी गई सजा में से मुजरा कराने का पात्र है, तत्संबंधी निरोध अवधि बाबत धारा 428 दंप्रस का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

16- निर्णय की एक प्रति अभियुक्त अनिल को निःशुल्क प्रदान की जाए।

17- प्रकरण में जप्त सम्पत्ति नहीं है। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

-सही-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

-सही-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.